



2019/00062

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिा धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - हरिसिंह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या- 32/2019

भवरसिंह उर्फ भमरसिंह पुत्रश्री शादीलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमो तहसील
सैपऊ जिला धौलपुर

---वादी

बनाम

- 1-अमरसिंह पुत्रश्री शादीलाल जाति ठाकुर निवासी तसीमो 2-सूखा पुत्र रामसिंह
3-अजबसिंह 4-हरिविलास 5-रामवीर पुत्रगण सामले 6-साहबसिंह 7-रामनाथ पुत्रगण
भवनिया 8-भगवती पुत्री भवनिया 9-रामा वेबा अतरसिंह 10-राजवीर 11-प्रेमवीर
12-कमलसिंह 13-उदयवीरसिंह पुत्रगण मोहनसिंह 14-आतेन्द्रसिंह पुत्र रामनाथ
15-मुन्नू उर्फ राजकुमार 16-पप्पू उर्फ विजयकुमार 17-दशरथ 18-हरिओम पुत्रगण
अमरसिंह समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ जिला
19-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
20-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

--- प्रतिवादीगण
दावा विभाजन कृषि भूमि
एवं एवं स्थाई निषेधाज्ञा

- उपस्थिति -1-श्री विनोदकुमार भार्गव एडवोकेट (वादी)
2-श्री सुरेन्द्रसिंह दुबे एडवोकेट.....(प्रतिवादी)

निर्णय

दिनांक 12.09.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 10.04.2019 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 18, 146 स्थित वाके ग्राम नन्दपुरा एवं खसरा नम्बर 312, 2130/2914, 2290, 2287, 2288, 2289, 2439, 2458 स्थित वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरुद्ध दिनांक 13.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं वादी अभिभाषक द्वारा बटवारा कराने की किया तथा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 17.06.2010 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांक:राजस्व/2019/553 दिनांक 28.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम नन्दपुरा एवं तसीमो तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1- भवरसिह उर्फ भमरसिह पुत्र शादीलाल जाति ठकुर सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा तसीमो ख. न. 2458/2 विलारहन

ग्राम - नन्दपुरा :-

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा बीघा में	लगान
1.	2458/2	0-10	2.00
2.	2130/2914/2	7-05	7.25
योग	2	7-15	9.25

ग्राम - तसीमो

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा बीघा में	लगान
1.	18	0-18	3.60
2.	146	1-02	5.50
योग	2	2-00	9.10

2-अमरसिह पुत्र शादीलाल जाति ठाकुर सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा तसीमो मु.वि.ला.

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	लगान
1.	312	2-02	8.40
2.	2130/2914/1	7-05	7.25
योग	2	9-07	15.65

3-अमरसिह पुत्र शादीलाल हि. 8/81, हरिविलास, रामवीर पिसरान सामले हि. 22/243, प्रेमवती पत्नी साहबसिह, मेम्बरसिह, सुरेश, संजय पिसरान साहबसिह हि. 16/162, आतेन्द्रसिह, चरनसिह, राजवीरसिह पुत्रांन एवं कृष्णा, मनोरमा, पूनम पुत्रीयांन पिसरान रामनाथ हि. 16/162, भागवती पुत्री भवनियां हि. 2/81, रामा पत्नी अतरसिह हि. 18/81 विलारहन, आतेन्द्रसिह पुत्र रामनाथ हि. 18/81 राहिन एस.बी.आई. शाखा तसीमो सूखा पुत्र रामसिह हि. 8/81, अजबसिह पुत्र सामले हि.11/243 राहिन बीआरकेजीबी शाखा सैपऊ मु.वि.ला.कौम ठाकुर सा.देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	लगान
1.	2287	1-01	8.40
2.	2288	0-01	8.40
3.	2289	1-13	13.20
4.	2439	0-10	2.00
5.	258/1	0-16	3.20
योग	5	4-01	26.80

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तस्मीम की जावे। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपरु



राजस्थान RAJASTHAN

AT 255656

डिक्री व मुकदमे ईव्तदाई

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

व इजलास - हरिसिंह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या- 32/2019

भवरसिंह उर्फ भमरसिंह पुत्रश्री शादीलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ जिला धौलपुर


---वादी

बनाम

- 1-अमरसिंह पुत्रश्री शादीलाल जाति ठाकुर निवासी तसीमो
- 2-सूखा पुत्र रामसिंह
- 3-अजबसिंह
- 4-हरिविलास
- 5-रामवीर पुत्रगण सामले
- 6-साहबसिंह
- 7-रामनाथ पुत्रगण भवनिया
- 8-भगवती पुत्री भवनिया
- 9-रामा वेवा अतरसिंह
- 10-राजवीर
- 11-प्रेमवीर
- 12-कमलसिंह
- 13-उदयवीरसिंह पुत्रगण मोहनसिंह
- 14-आतेन्द्रसिंह पुत्र रामनाथ
- 15-मुन्नू उर्फ राजकुमार
- 16-पप्पू उर्फ विजयकुमार
- 17-दशरथ
- 18-हरिओम पुत्रगण अमरसिंह समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ जिला
- 19-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
- 20-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहाँसियत लैण्ड होल्डर

--- प्रतिवादीगण
दावा विभाजन कृषि भूमि
एवं एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रुबरु मुझ हरिसिंह लंम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विनोदकुमार भार्गव एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री


सैपऊ (सैपऊ)



राजस्थान
2019
र (राजस्थान)

राजस्थान RAJASTHAN

AT 255657

सुरेन्द्रसिंह दुबे एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम नन्दपुरा एवं तसीमो तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:-

1-भवरसिंह उर्फ भमरसिंह पुत्र शादीलाल जाति ठकुर सा.देह खातेदार राहिन एस.बी. आई. शाखा तसीमो ख. न. 2458/2 विलारहन

ग्राम - नन्दपुरा :-

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा बीघा में	लगान
1.	2458/2	0-10	2.00
2.	2130/2914/2	7-05	7.25
योग	2	7-15	9.25

ग्राम - तसीमो

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा बीघा में	लगान
1.	18	0-18	3.60
2.	146	1-02	5.50
योग	2	2-00	9.10

2-अमरसिंह पुत्र शादीलाल जाति ठाकुर सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा तसीमो मु.वि.ला.

3

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	लगान
1.	312	2-02	8.40
2.	2130 / 2914 / 1	7-05	7.25
योग	2	9-07	15.65

3-अमरसिंह पुत्र शादीलाल हि. 8/81, हरिविलास, रामवीर पिसरान सामले हि. 22/243, प्रेमवती पत्नी साहबसिंह, मेम्बरसिंह, सुरेश, संजय पिसरान साहबसिंह हि. 16/162, आतेन्द्रसिंह, चरनसिंह, राजवीरसिंह पुत्रांन एंव कृष्णा, मनोरमा, पूनम पुत्रीयांन पिसरान रामनाथ हि. 16/162, भागवती पुत्री भवनियां हि. 2/81, रामा पत्नी अतरसिंह हि. 18/81 विलारहन, आतेन्द्रसिंह पुत्र रामनाथ हि. 18/81 राहिन एस.बी.आई. शाखा तसीमो सूखा पुत्र रामसिंह हि. 8/81, अजवसिंह पुत्र सामले हि.11/243 राहिन बीआरकेजीबी शाखा सैपऊ मु.वि.ला.कौम ठाकुर सा.देह खातेदार

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	लगान
1.	2287	1-01	8.40
2.	2288	0-01	8.40
3.	2289	1-13	13.20
4.	2439	0-10	2.00
5.	258 / 1	0-16	3.20
योग	5	4-01	26.80

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.09.2019 को जारी की गई।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ